25/11/25 आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते
आदेश हेतु पेश की गई। कबूलियत उप०/वादी
का वाद-पत्र मुताबिक राजीनामा के आधार
पर डिक्री किया जाता है। पत्रावली फैसल
शुमार होकर नम्बर से कम हो। वाद ग्राम
दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बहरोड (कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :– रामकिशोर मीना ॥
(R.A.S.)

राजस्व प्रार्थना न. :– 109 / 2025
दायर दिनांक :– 26.06.2025
निर्णय दिनांक :– 25/11/25

उनवान

1. बनवारीलाल पुत्र छोटेलाल पौत्र प्रहलाद जाति अहीर निवासी खोहरी तह0 बहरोड़।
2. जगदीश पुत्र छोटेलाल पौत्र प्रहलाद जाति अहीर निवासी खोहरी तह0 बहरोड़।
3. महेन्द्र पुत्र छोटेलाल पौत्र प्रहलाद जाति अहीर निवासी खोहरी तह0 बहरोड़।
4. ज्योतिस्वरूप पुत्र छोटेलाल पौत्र प्रहलाद जाति अहीर निवासी खोहरी तह0 बहरोड़।
5. रामप्रताप पुत्र छोटेलाल पौत्र प्रहलाद जाति अहीर निवासी खोहरी तह0 बहरोड़।
6. रेशमी पुत्री छोटेलाल पौत्र प्रहलाद जाति अहीर निवासी खोहरी तह0 बहरोड़।
7. सविता पुत्री छोटेलाल पौत्र प्रहलाद जाति अहीर निवासी खोहरी तह0 बहरोड़।

.... वादीगण

बनाम

1. जयप्रकाश पुत्र बनेसिंह पौत्र श्योराम जाति अहीर निवासी खापरिया तहसील बहरोड़।
2. देशराज पुत्र श्योराम जाति अहीर निवासी खापरिया तहसील बहरोड़।
3. परमेश्वरी पुत्री बनेसिंह जाति अहीर निवासी खापरिया तहसील बहरोड़।
4. मुकेश पुत्री बनेसिंह जाति अहीर निवासी खापरिया तहसील बहरोड़।
5. रामप्रताप पुत्र बनेसिंह जाति अहीर निवासी खापरिया तहसील बहरोड़।
6. शान्ति पत्नी बनेसिंह जाति अहीर निवासी खापरिया तहसील बहरोड़।
7. सुरेन्द्र पुत्र बनेसिंह जाति अहीर निवासी खापरिया तहसील बहरोड़।
8. केनरा बैंक शाखा बहरोड तहसील बहरोड़ जरिये शाखा प्रबन्धक /मैनेजर
9. उप पंजीयक बहरोड

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

10. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बहरोड। — प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188,209 राजस्व काश्तकारी
अधिनियम डिक्री इस्तकराहक व हुक्म इम्तनाई दवामी

उपस्थित :–

1. श्री सतीश कुमार यादव अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री अनिल कुमार यादव अधिवक्ता प्रतिवादी।

–: निर्णय :–

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हमारे समक्ष पेश हुई। फरीकेन के वकुलाय उपस्थित है। हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। पत्रावली के सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि साबिक खसरा नम्बर 275 रकबा 18 बिस्वा वाके ग्राम खापरिया तहसील बहरोड प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 के बुर्जुग श्योराम पुत्र गडसीराम जाति अहीर निवासी खापरिया तहसील बहरोड से हम वादीगण के बुजुर्ग छोटेलाल पुत्र प्रहलाद जाति अहीर निवासी खोहरी तहसील बहरोड ने जरिर्ये रजिस्टर बयनामा दिनांक 14.11.1983 को मौके पर कब्जा प्राप्त कर खरिद किया था। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 7 के बुजुर्गो का सजरा अंकित किया है। वादीगण के पिता छोटेलाल के फौत होने के पश्चात विवादित आराजी पर वादीगण निर्वाद रूप से काबिज काश्त कर रहे है। पटवारी हल्का से राजस्व रिकोर्ड देखा तो जानकारी में आया कि विवादित आराजी प्रतिवादीगण के नाम चल रही है। जबकि प्रतिवादीगण के बुजुर्ग ने वादीगण के बुजुर्गो को यह आराजी दिनांक 14.11.1983 को जरिर्ये रजिस्टर्ड बयनामा विक्रय कर दी थी। उक्त वक्त समय भू–प्रबन्ध कार्य चलने के कारण बयनामा का नामान्तकरण दर्ज नही हो पाया व आराजी विक्रेता श्योराम के नाम दर्ज हो गयी। विवादित आराजी पर आज भी वादीगण का कब्जा काश्त है। अतः वादीगण का वाद पत्र डिक्री कर वादीगण को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण न्यायालय हाजा में उपस्थित आये। एवं वाद पत्र के समर्थन में अपना राजीनामा पेष किया। जो दिनांक 23.09.2025 को सत्यापित कर संलग्न्न किया गया।

हमने वकुलाय की बहस सुनी तथा पत्रावली का अध्ययन किया गया। विवादित आाजी खसरा नम्बर 346 रकबा 0.24 हैक्टेयर ग्राम खापरिया तहसील बहरोड के साबिक खसरा नम्बर 275 रकबा 18 बिस्वा से बनाया गया है। वर्तमान में यह आराजी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। साबिक आराजी खसरा नम्बर 275 रकबा 18 बिस्वा वाके ग्राम खापरिया को श्योराम पुत्र गडसीराम निवासी खापरिया ने दिनांक 14.11.1983 को छोटेलाल पुत्र प्रहलाद अहीर निवासी खोहरी तहसील बहरोड को जरिर्ये पंजीकृत बयनामा विक्रय कर दिया था। वर्तमान में उक्त आराजी श्योराम विक्रेता मे वारिसानो के नाम दर्ज है। जो गलत है।

ण्ड अधिकारी
(कोटपूतली-बहरोड)

विवादित आराजी क्रेता छोटेलाल पुत्र प्रहलाद के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित है। जिस हेतु श्योराम विक्रेता के वारिसान ने वाद पत्र के समर्थन में अपना राजीनामा पेश किया है। वादीगण का वाद पूर्णतया सिद्व पाया जाता है।

—: आदेश :—

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 346 रकबा 0.24 वाके ग्राम खापरिया तहसील बहरोड से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 7 का नाम कलमजन कर वादीगण को खातदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी कदर हाल भू-अभिलेख को संशोधन किये जाने आदेश दिये जाते है। प्रतिवादी संख्या 2 ऋण राशि अदा करे तथा प्रतिवादी संख्या 8 ऋण राशी प्रतिवादी संख्या 02 वसूल कर रहन फक करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

आज दिनांक 25/11/26 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रामकिशोर मीना II)

(R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी

बहरोड (कोटपुतली-बहरोड)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बहरोड (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी :– रामकिशोर मीना ॥
(R.A.S.)

राजस्व प्रार्थना न. :– 109 / 2025
दायर दिनांक :– 25.06.2025
निर्णय दिनांक :– 25/11/25

उनवान

1. बनवारीलाल पुत्र छोटेलाल पौत्र प्रहलाद जाति अहीर निवासी खोहरी तह० बहरोड़।
2. जगदीश पुत्र छोटेलाल पौत्र प्रहलाद जाति अहीर निवासी खोहरी तह० बहरोड़।
3. महेन्द्र पुत्र छोटेलाल पौत्र प्रहलाद जाति अहीर निवासी खोहरी तह० बहरोड़।
4. ज्योतिस्वरूप पुत्र छोटेलाल पौत्र प्रहलाद जाति अहीर निवासी खोहरी तह० बहरोड़।
5. रामप्रताप पुत्र छोटेलाल पौत्र प्रहलाद जाति अहीर निवासी खोहरी तह० बहरोड़।
6. रेशमी पुत्री छोटेलाल पौत्र प्रहलाद जाति अहीर निवासी खोहरी तह० बहरोड़।
7. सविता पुत्री छोटेलाल पौत्र प्रहलाद जाति अहीर निवासी खोहरी तह० बहरोड़।

.... वादीगण

बनाम

1. जयप्रकाश पुत्र बनेसिंह पौत्र श्योराम जाति अहीर निवासी खापरिया तहसील बहरोड़।
2. देशराज पुत्र श्योराम जाति अहीर निवासी खापरिया तहसील बहरोड़।
3. परमेश्वरी पुत्री बनेसिंह जाति अहीर निवासी खापरिया तहसील बहरोड़।
4. मुकेश पुत्री बनेसिंह जाति अहीर निवासी खापरिया तहसील बहरोड़।
5. रामप्रताप पुत्र बनेसिंह जाति अहीर निवासी खापरिया तहसील बहरोड़।
6. शान्ति पत्नी बनेसिंह जाति अहीर निवासी खापरिया तहसील बहरोड़।
7. सुरेन्द्र पुत्र बनेसिंह जाति अहीर निवासी खापरिया तहसील बहरोड़।
8. केनरा बैंक शाखा बहरोड़ तहसील बहरोड़ जरिये शाखा प्रबन्धक / मैनेजर
9. उप पंजीयक बहरोड
10. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बहरोड़।

..... प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188,209 राजत्र काश्तकारी अधिनियम डिक्री इस्तकराहक व हुक्म इम्तनाई दवामी

उपस्थित :–

1. [redacted]गण।
2. [redacted]वादी।

[redacted]ण्ड अधिकारी
[redacted] (कोटपूतली–बहरोड़)

-: पर्चा डिक्री :-

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हमारे समक्ष पेश हुई। फरीकेन के वकुलाय उपस्थित है। हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 346 रकबा 0.24 वाके ग्राम खापरिया तहसील बहरोड़ से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 7 का नाम कलमजन कर वादीगण को खातदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी कदर हाल भू-अभिलेख को संशोधन किये जाने आदेश दिये जाते है। प्रतिवादी संख्या 2 ऋण रार्शि अदा करे तथा प्रतिवादी संया 8 ऋण राशी प्रतिवादी संख्या 02 वसूल कर रहन फक करे।

आज दिनांक 25/11/25 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा द्वारा जारी की गई।

(रामकिशोर मीना ॥)
(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)